न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कमला अलारिया आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 50/2020

रामेश्वर पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी 1 आर.जे.एम. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

वनाम

1. राजाराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. विनोद कुमार पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. विजयपाल पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. रुकमा पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. शान्तिदेवी पत्नी चन्दुराम जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. चुन्नीलाल पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी सुनलई तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर।
7. जेठीदेवी पत्नी चन्दुराम जाति जाट निवासी सुनलई तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अभिलेख घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोडन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट – अपीलान्ट
2. श्री इन्द्राज कंस्वा एडवोकेट – रेस्पो. संख्या 1 ता 3

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 06.04.2022

1. यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत तहसीलदार भू अभिलेख घड़साना के प्रकरण संख्या 13/2018 वसीयत इन्तकाल पत्रावली में पारीत निर्णय दिनांक 16.04.2018 के विरुद्व अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा चक 14 आर.जे.डी. तहसील घड़साना के पत्थर नं. 58/57 मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 1 ता 25 की 25.00 बीघा यानि 6.325 हैक. भूमि वसीयत के आधार पर रेस्पो. संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज करने के आदेश पारीत किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

लगातार पेज 2 पर

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रकरण में योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये बताया कि चक 14 आर.जे.डी. तहसील घड़साना के पत्थर नं. 58/57 मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 1 ता 25 की 25.00 बीघा यानि 6.325 हैक. भूमि अपीलान्ट के पिता चन्दुराम पुत्र मानाराम के नाम दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट के पिता चन्दुराम ने अपने जीवनकाल में दो शादीयां की थी। प्रथम शादी रेस्पो. संख्या 7 जेठीदेवी के साथ की थी रेस्पो. सं. 7 के नुत्फे से अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 6 चुन्नीलाल पैदा हुये है तथा चन्दुराम ने दूसरी शादी रेस्पो. सं. 5 शान्तिदेवी के साथ की थी जिससे रेस्पो. सं. 1 ता 4 पैदा हुये है। इस प्रकार अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं. 1 ता 8 कुल 8 वारिस मृतक चन्दुराम के प्रथम श्रेणी के विधिक एवं जायज वारिसान है। मुल खातेदार चन्दुराम के देहान्त उपरान्त उक्त कृषि भूमि उसके समस्त विधिक वारिसान को विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें अपीलान्ट का 1/8 हिस्सा हक निहित है। लेकिन रेस्पो. सं. 1 ता 3 द्वारा मृतक चन्दुराम की तथाकथित वसीयत दिनांक 17.09.2014 के आधार पर तहसीलदार भू. अभिलेख घड़साना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार राजस्व घड़साना द्वारा अपीलान्ट व अन्य वारिसान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया। जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है। इसलिए 96 सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र संलग्न अपील है। अपने समर्थन न्यायिक निर्णय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पेश किये और कहा की उक्त प्रकरण पर लागू होती है। उक्त भूमि की वसीयत गैर खातेदारी की गई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 16.04.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3. योग्य अधिवक्ता रेस्पोडन्टस ने तर्क किया कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.04.2018 विधि सम्मत् रुप से पारीत किया गया है। अपीलाधीन भूमि चक 14 आर.जे.डी. तहसील घड़साना के पत्थर नं. 58/57 मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 1 ता 25 की 25.00 बीघा यानि 6.325 हैक. भूमि रेस्पो सं. 1 ता 3 के पिता चन्दुराम को विशेष आंवटन के तहत सन् 1986 में आंवटन की गई है जो चन्दुराम पुत्र मानाराम की स्वअर्जित सम्पति है। और चन्दुराम के जीवनकाल में खातेदारी हो चुकी थी। प्रश्नगत भूमि जरिये वसीयत रेस्पो. नं. 1 ता 3 को प्राप्त हुई थी जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीक है। अधिनस्थ न्यायालय

लगातार पेज 3 पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

में वसीयत के गवाह द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति साया करवाई गई थी। अपीलान्ट वसीयत को गलत होना बता रहा है, जबकि वसीयत की वैधता को निर्णित किये जाने का क्षेधाधिकार राजस्व न्यायालय का न होकर सिविल न्यायालय का है। अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से निरस्त फरमाई जावे। कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2006–07 पेज 60 व 277, आर.आर.टी. 2019 प्रथम पेज 184 व आर.आर.डी. 2021 पेज 533 व 571 प्रस्तुत की।

4. योग्य अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा कानूनी नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

5. सर्वप्रथम प्रकरण में 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाना है। पत्रावली अनुसार प्रश्नगत भूमि अपीलान्ट एंव रेस्पोडन्टस के पति/पिता चन्दुराम की भूमि है। जिसे दोनो पक्ष स्वीकार कर रहे है। पत्रावली अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडन्टस चन्दुराम के जायज वारिस है। प्रकरण में अपीलान्ट हितबद्ध प्रतीत होता है। इसलिए अपीलान्ट अपील में हितबद्ध होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है।

6. अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा अपील अपीलान्ट देरी से प्रस्तुत किया जाना बताई गई है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.04.2018 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक करीब 30 माह की देरी से प्रस्तुत की गई है। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका खण्डन रेस्पो. द्वारा प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत कर नही गया है। तथा अपील का निर्णय गुण अवगुण पर किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 16.04.2018 अनुसार प्रश्नगत भूमि रेस्पो. के पति/पिता चन्दुराम पुत्र मानाराम को विशेष आंवटन मे सन् 1986 को अलॉट की गई है। जो रेस्पो. के पिता चन्दुराम की स्वअर्जित सम्पति है। जिसके साक्ष्य हेतु रेस्पो. द्वारा दस्तावेज संलग्न है। जिसकी वसीयत रेस्पो. नं. 1 ता 3 के पक्ष में की गई है जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुदा है। रेस्पो. द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वसीयत के गवाह द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

लगातार पेज 4 पर

द्वारा वसीयत के आधार पर प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण रेस्पो. नं. 1 ता 3 के पक्ष में दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 16.04.2019 को निर्णित पारीत किया गया है। जो कानून सम्मत् प्रतीत होता है। अपीलान्ट को यदि वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में संदेह है तो वे सिविल न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वसीयत की वेधता के सम्बन्ध में सुनवाई का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2006–07 पेज 60 व 277 अनुसार वसीयत की वैधता की जांच करने का राजस्व न्यायालय को अधिकार नही है। कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2019 प्रथम पेज 184, आर.आर.डी. 2021 पेज 533 व 571 अनुसार वसीयत का न्याय निर्णय हेतु केवल सिविल न्यायालय को अधिकारिता है। वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित नही की जा सकती है। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत उक्त कानूनी नजीर इस प्रकरण में चस्पा होती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसील घड़साना द्वारा दिनांक 16.04.2018 को पारीत निर्णय विधि सम्वत् होने के कारण किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.04.2022 लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमल अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)
सूरतगढ़।